



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 29) पटना शुक्रवार 8 जनवरी 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

25 दिसम्बर 2020

सं० 5 न०वि०/विविध-105-2020-4224 न०वि० एवं आ०वि०-बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के निम्न विवरणी में अंकित अधिसूचना संख्या द्वारा उनके सामने अंकित नगर निकायों का गठन हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया था :-

क्रमांक	जिला का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	संबंधित नगर निकाय का नाम
1	बेगूसराय	1696 दिनांक 20.05.2009	नगर परिषद् बरौनी
2	नवादा	1700 दिनांक 20.05.2009	नगर पंचायत रजौली
3	नालन्दा	6579 दिनांक 22.09.2016	नगर पंचायत हरनौत
4	पटना	567 दिनांक 27.01.2017	नगर पंचायत पालीगंज
5	सुपौल	2726 दिनांक 13.04.2017	नगर पंचायत त्रिवेणीगंज
6	बांका	4077 दिनांक 16.06.2017	नगर पंचायत बौसी
7	दरभंगा	5493 दिनांक 22.08.2017	नगर परिषद् बिरौल
8	दरभंगा	6049 दिनांक 11.09.2017	नगर परिषद् बहेड़ी
9	नालन्दा	6353 दिनांक 22.09.2017	नगर पंचायत गिरियक
10	समस्तीपुर	6614 दिनांक 10.10.2017	नगर पंचायत सिंधिया

2. विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-01-06/2020-4385/लेज दिनांक 10.08.2020 द्वारा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 13, 2020) अधिसूचित की गई है, जिसके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपर्युक्त विवरणी में अंकित अधिसूचना अप्रासंगिक हो गया है।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त विवरणी में अंकित निर्गत अधिसूचना को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 29-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>